संख्या:क0नि0-5-2586/11-2001-500(156)/98 टी0सी0

प्रेषक,

टी0 जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 25 अप्रैल, 2001

विषयः- निश्चित क्षेत्रफल से कम भूमि को आवासीय मानना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या क0सं0वि0-5-2897/11-98, दिनांक 07.07.1998 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस क्रम में आपको यह अवगत कराना है कि शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि एक निश्चित क्षेत्रफल से कम भूमि को आवासीय मानने का प्राविधान रेटलिस्ट में रखने से जनता का उत्पीड़न होता है और करापवंचन की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इस व्यवस्था में भविष्य के उपयोग के आधार पर कृषि भूमि को आवासीय माना गया है, जो समुचित नहीं प्रतीत होता है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07.07.98 का अनुपालन करते समय यह सुनिश्चित करें कि मात्र क्षेत्रफल के आधार पर कृषि भूमि के काल्पनिक उपयोग को ध्यान में रखकर इसे आवासीय मानने की व्यवस्था न की जाये। जहॉ भी किसी भूमि का वास्तविक उपयोग आवासीय हो उसका मूल्यांकन ही आवासीय दरों पर किया जाये।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
ह0/-
(टी0 जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव।

संख्या:क0नि0-5-2586(1)/11-2001-500(156)/98 टी0सी0, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपनिबन्धक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(यू0के0एस0 चैहान)
विशेष सचिव।